न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 78/2021

निर्णय दिनांक: 17.9.2021

ऑनलाईन नम्बर 2021/183

1. मंजू कंवर पत्नी भरत सिंह जाति राजपूत निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. भरत सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—वादीगण—

बनाम

1. शिव सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ
2. महावीर सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

—प्रतिवादीगण—

4. शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शेरूणा

—गौण प्रतिवादी—

उपस्थितिः—

1. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक वादीगण
2. श्री बृजेश पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादीगण 1 ता 2

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

यह वाद मंजू कंवर वगैरहा ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 285 तादादी 8.79 हेक्टेयर वाकेरोही शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। जिसमे वादी संख्या 1 का 200/879 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 479/1785 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 काफी वर्ष पूर्व अपने—अपने हिस्से की भूमि का मौखिक विभाजन कब्जा काश्त कर रखा है, जिनके आसे— पासे निम्नानुसार हैः—

(क) वादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि के आसे—पासे

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
एन.एच. 11 (ख.न. 284)	खसरा नम्बर 1042	प्रतिवादी संख्या 1 की हिस्सा भूमि	वादी संख्या 2 की हिस्सा भूमि

(ख) वादी संख्या 2 के हिस्से की भूमि के आसे—पासे

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
एन.एच. 11 (ख.न. 284)	खसरा नम्बर 1042	वादी संख्या 1 की हिस्सा भूमि	प्रतिवादी संख्या 2 की हिस्सा भूमि

(ग) प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की भूमि के आसे—पासे

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
एन.एच. 11 (ख.न. 284)	खसरा नम्बर 1042	खसरा नम्बर 286	वादी संख्या 1 की हिस्सा भूमि

(घ) प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से की भूमि के आसे—पासे

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
एन.एच. 11 (ख.न. 284)	खसरा नम्बर 1042	वादी संख्या 2 की हिस्सा भूमि	खसरा नम्बर 279

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:43:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने हिस्सा भूमि पर गौण प्रतिवादी बैंक शाखा से ऋण ले रखा है। ऋण की अदायगी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा की जानी है,फिर कानूनी आपतियो को ध्यान में रखते हुये ऋणदाता बैंक को गौंण प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि हम अलग–अलग काश्त कर रहे है, इसलिये खाता विभाजन करवा लेते है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दिनांक 09.08.2021 को सहमति से मौका कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवाने से साफ इन्कार हो गये व ऐलानियां धमकी दी कि हम मौखिक विभाजन को नही मानते तथा आईन्दा हम इच्छानुसार खेत में किसी भी हिस्से पर कब्जा कर लेगे। प्रतिवादी संख्या 3 से निवेदन करने पर कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ तभी हम खाता विभाजन करेगे। वादीगण अपनी खातेदारी का खाता विभाजन करवाने का कानूनी अधिकार रखते है, यही वादीगण का वाद आधार व वाद कारण है। यह कि वादगत खेत ग्राम शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है, वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष के संबंध में श्रवणधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को है। प्रस्तुत दावा हर प्रकार से अन्दर मियाद व पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः दावा वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण का निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

(क) कि विभाजन की डिक्री दावा की मद संख्या 2 में वर्णित वादीगण के कब्जा काश्त के अनुसार वादीगण के हिस्सा भूमि का विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की डिक्री खिलाफ प्रतिवादीगण जारी की जावें।

(ख) कि चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री खिलाफ प्रतिवादीगण जारी की जावें कि वे दावा की मद संख्या 2 में वर्णित वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि मे किसी प्रकार से दखल अन्दाजी पैदा नहीं करें।

(ग) कि अन्य न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो, आज्ञापक फरमाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता उपिस्थत होकर इकबालिया राजीनाम पेश किया । वादीगण एवं प्रतिवादीगणों को जरिये राजीनामा वाद को स्वीकार करने में आपति नहीं होने वादी वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। रूबरू राजीनामा वादीगण का दावा डिक्री किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 285 तादादी 8.79 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा का खाता विभाजन निम्नानुसार से किया जाता हैः–

वादी संख्या 1 मंजू कंवर का हिस्सा 200/879 भूमि :-

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
एन.एच. 11 (ख.न. 284)	खसरा नम्बर 1042	प्रतिवादी संख्या 1 की हिस्सा भूमि	वादी संख्या 2 की हिस्सा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:19 IST
Reason: SelfAttested

वादी संख्या 2 भरत सिंह का हिस्सा 479/1758

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
एन.एच. 11 (ख.न. 284)	खसरा नम्बर 1042	वादी संख्या 1 की हिस्सा भूमि	प्रतिवादी संख्या 2 की हिस्सा भूमि

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रतिवादी संख्या 1शिव सिंह का 1/4 हिस्सा

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
एन.एच. 11 (ख.न. 284)	खसरा नम्बर 1042	खसरा नम्बर 286	वादी संख्या 1 की हिस्सा भूमि

प्रतिवादी संख्या 2 महावीर सिंह का 1/4 हिस्सा

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
एन.एच. 11 (ख.न. 284)	खसरा नम्बर 1042	वादी संख्या 2 की हिस्सा भूमि	खसरा नम्बर 279

तदनुसार खाता विभाजन की अन्तिम डिक्री जारी कर प्रतिवादी संख्या 3 को पालनार्थ तहरीर जारी हो। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का हिस्सा रहन प्रतिवादी संख्या 4 के नाम नियमानुसार रहे।

निर्णय आज दिनांक 12.9.2022 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:19 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

उनवान

1. मंजू कंवर पत्नी भरत सिंह 2. भरत सिंह पुत्र हनुमान सिंह जाति राजपूत निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ जिल बीकानेर

बनाम

1. शिव सिंह पुत्र हनुमान सिंह 2. महावीर सिंह पुत्र हनुमान सिह जाति राजपूत निवासी शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 4.शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा शेरूणा तहसील श्रीडूंगरगढ

दावा बाबत विभाजन, चिरनिषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 78/2021

निर्णय दिनांक 17.09.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से श्री ललित मारू अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व श्री बृजेश पुरोहित अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1ता 2 मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 285 तादादी 8.79 हैक्टेयर वाकेरोही शेरूणा का खाता विभाजन निम्नानुसार से किया जाता है:–

वादी संख्या 1 मंजू कंवर का हिस्सा 200/879 भूमि :–

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
एन.एच. 11 (ख.न. 284)	खसरा नम्बर 1042	प्रतिवादी संख्या 1 की हिस्सा भूमि	वादी संख्या 2 की हिस्सा भूमि

वादी संख्या 2 भरत सिंह का हिस्सा 479/1758

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
एन.एच. 11 (ख.न. 284)	खसरा नम्बर 1042	वादी संख्या 1 की हिस्सा भूमि	प्रतिवादी संख्या 2 की हिस्सा भूमि

प्रतिवादी संख्या 1शिव सिंह का 1/4 हिस्सा

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
एन.एच. 11 (ख.न. 284)	खसरा नम्बर 1042	खसरा नम्बर 286	वादी संख्या 1 की हिस्सा भूमि

प्रतिवादी संख्या 2 महावीर सिंह का 1/4 हिस्सा

उतर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
एन.एच. 11 (ख.न. 284)	खसरा नम्बर 1042	वादी संख्या 2 की हिस्सा भूमि	खसरा नम्बर 279

तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का हिस्सा रहन प्रतिवादी संख्या 4 के नाम नियमानुसार रहे।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0.. फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.... को अदा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:19 IST
Reason: SelfAttested

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दि... 17 ...ह 09 सन् 2021 को जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)